उत्तरांचल विज्ञापन

मान्यता नियमावली–2001

सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग,
उत्तरांचल

उत्तरांचल विज्ञापन मान्यता नियमावली 2001

1. (क) यह नियमावली उत्तरांचल विज्ञापन मान्यता नियमावली 2001 कहलायेगी।

(ख) यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. **परिभाषाऐं** :- विषय और सन्दर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही हे जो उनके सामने दिया जा रहा है:-

(क) "सरकार" सरकार का अर्थ है उत्तरांचल सरकार।

(ख) "अधिशासी निदेशक" का अर्थ है अधिशासी निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तरांचल।

(ग) "राज्य विज्ञापन मान्यता समिति" जिसके लिये आगे समिति का प्रयोग किया गया है, का अर्थ है एक ऐसी समिति जिसका गठन सरकार ने राज्य के समाचार पत्रों को विज्ञापन मान्यता देने के प्रश्न पर सलाह के लिये किया है।

(घ) "समाचार पत्र" समाचार पत्र का अर्थ है सावधिक पत्र जिसमें समाचार और उस पर टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं।

3. **विज्ञापन मान्यता समिति का गठन** :- विज्ञापन मान्यता समिति का गठन शासन द्वारा किया जायेगा। समिति में कम से कम 5 सदस्य व अधिकतम 11 सदस्य होंगे तथा सामान्यतः समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। यदि शासन चाहे तो समिति कभी भी भंग की जा सकती है।

4. **अध्यक्ष** :- समिति अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करेगी। अधिशासी निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि समित के पदेन संयोजक होंगे।

5. बैठक:- आवश्यकता के अनुसार समिति की बैठक होगी, लेकिन बैठक छः माह में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी।

6. **गणपूर्ति**:- बैठक के लिये कम से कम तीन सदस्यों का कोरम होगा।

7. **नोटिस**:- समिति के सामान्य बैठक के लिये सामान्यतः दस दिन की नोटिस दी जायेगी। आकस्तिक बैठक 48 घन्टे की नोटिस देकर भी बुलायी जा सकती है।

8. **आवेदन पत्रों पर विचार**:- नोटिस के साथ समिति के सदस्यों में विज्ञापन मान्यता चाहने वाले समाचार पत्रों की सूची आवश्यक विवरण सहित वितरित की जायेगी। समिति उन आवेदन पत्रों पर भी विचार कर सकती है जिनकी सूचना बैठक के पूर्व नहीं दी जा सकी।

9. समिति विज्ञापन मान्यता के लिये प्राप्त सभी आवेदनों पर विचारोपरान्त अपनी संस्तुति अधिशासी निदेशक सूचना को अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

उत्तरांचल राज्य में विज्ञापन मान्यता के सम्बन्ध में

(10) 1. विज्ञापन मान्यता के इच्छुक सभी समाचार–पत्रों को सूचना निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा।

2. आवेदन–पत्र समाचार प्रकाशन के छः माह पश्चात दिया जा सकता है और औपचारिकतायें पूरी होने पर मान्यता दी जा सकती है।

3. जो पुराने समाचार–पत्र नया संस्करण निकालते हैं, वह विज्ञापन मान्यता के लिये नये माने जायेंगे, उनके लिये यही नियम लागू होगा।

4. विज्ञापन मान्यता के इच्छुक दैनिक समाचार पत्र यदि उत्तरांचल के जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून (चकराता एवं मसूरी क्षेत्र को छोड़कर) से प्रकाशित होते हैं तो उनकी न्यूनतम सशुल्क प्रसार संख्या 2000 तथा उत्तरांचल के अन्य जनपदों, जिनमें

देहरादून के मसूरी व चकराता क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे, के लिए 1000 होनी चाहिए।

5. ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून (चकराता, मसूरी क्षेत्रों को छोड़कर) के साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समाचार–पत्रों के लिये न्यूनतम प्रसार संख्या 1000 होनी चाहिये और चकराता, मसूरी के साथ अन्य पहाड़ी क्षेत्र के साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रों के लिये न्यूनतम प्रसार संख्या 500 होनी चाहिये। 2000 से अधिक प्रसार संख्या संबंधी दावे चार्टेड एकाउंटेट, मान्य लेखा परीक्षक सहकारी समिति के मामले में सहकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

6. भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा किसी समाचार पत्र की प्रसार संख्या की पुष्टि दी गयी हो तो वह भी मान्य होगी किन्तु शासन आवश्यक समझे तो इसकी जांच जिलाधिकारी या अन्य किसी एजेंसी से करा सकते हैं।

7. 2000 से कम प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों के प्रकाशकों द्वारा प्रसार संख्या के बारे में शपथ–पत्र देना होगा।

8. जो समाचार–पत्र 10000 से अधिक प्रसार संख्या का दावा करते हैं उनकी सशुल्क प्रसार संख्या के बारे में भारत सरकार के समाचार–पत्र पंजीयक की रिपोर्ट को आधार माना जायेगा। विशेष परिस्थिति में समिति द्वारा बनायी गयी प्रश्नावली के आधार पर प्रसार की तकनीकी समीक्षा की जा सकती है।

9. सांस्कृतिक, क्रीड़ा, तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट पत्र–पत्रिकाओं के सम्बन्ध में विचार करके निर्णय विशेष परिस्थितियों में लिया जा सकता है।

(11) उत्तरांचल राज्य में प्रकाशित होने वाले दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक समाचार–पत्र पत्रिकाओं को राज्य में

विज्ञापन मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्न निरीक्षा नियमों का पालन करना होगा:–

(I) पत्र–पत्रिका के प्रकाशन की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु पी.आर.वी. एक्ट की व्यवस्था के अनुसार पत्र–पत्रिका की दो प्रतियां निःशुल्क सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून स्थित निरीक्षा शाखा एवं सम्बन्धित जिला सूचना कार्यालय को प्रकाशन के 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध होनी चाहिए।

(II) पत्र–पत्रिका के प्रकाशन मे पाठ्य सामग्री की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

(III) समाचार पत्र–पत्रिका का मुद्रण जिस प्रेस में होता है उसी प्रेस में मुद्रित अन्य समाचार–पत्रों की पाठ्य–सामग्री में एकरूपता नहीं होनी चाहिए।

(IV) विज्ञापनों/लेखों/समाचारों का उपयोग स्थान पूर्ति के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए।

(V) छपाई स्पष्ट एवं पठनीय होने के साथ–साथ भाषा तथा वर्तनी दोष रहित होनी चाहिए।

(VI) सम्पादकीय लेखों में एकरूपता नहीं होनी चाहिए।

(VII) समाचार–पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर समाचार–पत्र का नाम, दिनांक व पृष्ठ संख्या मुद्रित होनी चहिए।

(VIII) सभी समाचार–पत्रों में डेट लाइन का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

(IX) मुख पृष्ठ पर प्रकाशन, स्थान, दिनांक, वर्ष और अंक संख्या भी मुद्रित होनी चाहिए, साथ ही मुद्रित पंक्ति पूर्ण होनी चाहिए।

(X) समाचार–पत्र में प्रयुक्त भाषा मर्यादित एवं संयमित होनी चाहिए। समाचारों तथा लेखों में,

साम्प्रदायिकता, कटुता, जातिवाद, चरित्र हनन, कुरूचि एवं अश्लीलता को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। समाचार आमतौर से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामयिक होने चाहिए।

(XI) समाचार–पत्र तभी नियत कालिक माना जायेगा जब कम से कम उसका प्रकाशन 80 प्रतिशत हो।

(XII) समाचार–पत्रों में विज्ञापन का मासिक औसत 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(XIII) दैनिक समाचार–पत्रों के सम्पादकीय लेखों का औसत कम से कम सप्ताह में पांच दिन होना चाहिए। साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रों में प्रति अंक सम्पादकीय लेखों का प्रकाशन आवश्यक है।

(XIV) दैनिक समाचार–पत्रों का मुद्रित आकार किसी भी दशा में 33X45 से.मी. (7 कॉलम) से कम नहीं होना चाहिए। सांध्य दैनिक, साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्रों का मुद्रित आकार 25X38 से.मी. से कम नहीं होना चाहिए तथा न्यूनतम पृष्ठ संख्या चार होनी चाहिए।

निरीक्षा शाखा छः माह से नियमित प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार–पत्रों के एक माह तथा साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र–पत्रिकाओं के दो माह के अद्यतन अंकों की उपरोक्त नियमों के अनुसार निरीक्षा करके विज्ञापन प्रभाग को विज्ञापन मान्यता के सन्दर्भ में आख्या प्रस्तुत करेगी।

उत्तरांचल राज्य विज्ञापन वितरण नीति

12. (1) शासकीय विज्ञापन यथासंभव बिना एजेंसी के माध्यम के ही प्रसारित किये जायेंगे। शासकीय सजावटी विज्ञापन यदि किसी विभाग को किसी विशेष अभियान के लिये विज्ञापन देने के लिये एजेंसी की आवश्यंकता समझी जाती है तो वह विभाग एजेंसी में प्रतियोगिता

के आधार पर चुनकर सूचना विभाग को संस्तुति कर सकता है। ऐसे अभियान के लिये अनुमति देने के लिए अधिशासी निदेशक सक्षम होंगे। एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन सामान्य रूप से केवल 25,000 से ऊपर के प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों को दिया जायेगा। उससे नीचे के प्रसार वाले समाचार–पत्रों को विभाग द्वारा ही दिया जायेगा।

(2) राज्य सरकार के विज्ञापन व्यवसायिक दरों पर नहीं जारी किये जायें। इसका अपवाद केवल इस दशा में हो सकता है कि जब किसी ऐसे पत्र या पत्रिका में सरकार विज्ञापन देना चाहती है, जिसने डी.ए.वी.पी. की दरें अस्वीकार कर दी हों।

(3) राज्य सरकार जब प्रदेश के बाहर के समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना चाहती हो और सम्बद्ध समाचार पत्र विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा स्वीकृत हो, तो उसके बिलों का भुगतान डी.ए.वी.पी. की दरों के अनुरूप ही किया जाये, लेकिन उन्हें विशेष परिस्थितियों में ही विज्ञापन जारी किया जाये।

(4) उत्तरांचल राज्य के गैर मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को विज्ञापन नहीं जारी किये जायें। अपवाद स्वरूप अति प्रतिष्ठा प्राप्त पत्रों को सूचना निदेशक के विवेकानुसार विज्ञापन जारी किया जा सकता है।

(5) वर्गीकृत विज्ञापन यथासंभव समानता, गुणवत्ता के अनुसार जारी किया जाये, आमतौर पर ऐसे विज्ञापन बहुसंस्करणीय समाचार पत्र के एक संस्करण के लिये ही जारी किये जायें।

(6) साप्ताहिक समाचार पत्र को एक वर्ष में यथा संभव टेंडर सहित 05 पृष्ठ विज्ञापन जारी किये जायें। मासिक, त्रैमासिक, पत्रिका सहित अन्य नियतकालिक पत्रों को भी समुचित विज्ञापन जारी किये जायें।

(7) सरकार को विज्ञापन की दरें निर्धारित करनी आवश्यक हैं इसलिये उन समाचार पत्रों के लिये जो डी.ए.वी.पी. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, दरें निर्धारित की जायें, जो निम्न प्रकार हैं—

प्रस्तावित विज्ञापन दरें

दैनिक समाचार पत्र

प्रसार संख्या	दरें (अंग्रेजी) (प्रति कालम से.मी.)	दरें (भाषा) (प्रति कालम से.मी.)
2000 तक	7.20	8.20
2001 से 5000 तक	8.50	9.20
5001 से 10000 तक	10.50	10.90
10001 से 15000 तक	12.60	12.80
15001 से 20000 तक	14.50	14.50
20001 से 25000 तक	16.60	16.60
25000 से 30000 तक	18.80	18.80
30001 से 35000 तक	20.70	20.70
35001 से 40000 तक	22.80	22.80
40001 से 45000 तक	24.70	24.70
45001 से 50000 तक	26.70	26.70
50001 से ऊपर	39.20	26.70

साप्ताहिक/पाक्षिक

2000 तक	8.70	9.90
2001 से 5000 तक	9.90	10.90
5001 से 10000 तक	11.80	12.20
10001 से 15000 तक	13.90	13.90
15001 से 20000 तक	15.70	15.70
20000 से 30000 तक	17.80	17.80
20001 से 25000 तक	19.70	19.70
30001 से 35000 तक	21.60	21.60
35001 से 40000 तक	23.60	23.60
40001 से 45000 तक	25.60	25.60
45001 से 50000 तक	27.40	27.40
50001 से ऊपर	44.30	32.60

मासिक, द्वैमासिक तथा त्रैमासिक की दरें

प्रसार संख्या	दर प्रति पृष्ठ (रू.)
2000 तक	1000
2001 से 5000 तक	1500
5001 से 10000 तक	2000
10001 से 20000 तक	2500
20001 से 30000 तक	3000
30001 से 40000 तक	3500
40001 से 50000 तक	4000
50001 से 60000 तक	4500
60001 से 70000 तक	5000
70001 से 80000 तक	5500
80001 से 90000 तक	6000
90001 से 100000 तक	6500
100000 से ऊपर	7000

जिन पत्रों को डी.ए.वी.पी. से मान्यता नहीं है और वह अपने पत्र के प्रसार संख्या 2000 से अधिक होने का दावा करते हैं, उनको आर.एन.आई. तथा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने की स्थिति में न्यूनतम दर ही अनुमन्य होगी।

(8) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों की दरें वहीं होंगी जो उनके निदेशालय द्वारा स्वीकृत हैं।

(9) विज्ञापन बिलों का भुगतान 60 दिन के अंदर बैंक ड्राफ्ट द्वारा कराया जाये, यदि इसमें विलम्ब हुआ तो कारणों की छानबीन की जाये।

(10) सूचना निदेशालय एवं सरकारी विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करते समय समाचार–पत्रों के पृष्ठ, गुणवत्ता, प्रभाग ओर प्रसार संख्या को भी ध्यान में रखा जाये। सहकारिता के आधार पर प्रकाशित होने वाले पत्रों को प्रोत्साहन दिया जाये।

13. **दिशा निर्देशः-** उपर्युक्त नीतियों को चालू करने के लिये निम्नलिखित प्रशासनिक दिशा निर्देश प्राविधित किये जाते हैं, जो नियमावली पारित होने की तिथि से माने जायेंगे।

टेण्डर की माप निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया होगी–

(1) आफसेट से निकाले जा रहे समस्त समाचार पत्रों को दिये जाने वाले टेण्डर की माप हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार–पत्रों में 8 प्वाइंट का आधार माना जायेगा और टेण्डर के शब्दों की संख्या गिनकर उसका 0.10 से गुणा करके माप निकाली जायेगी।

(2) लेटर प्रेस पर छपे हुये समाचार पत्रों को हिन्दी व अंग्रेजी में 12 प्वाइंट का आधार माना जायेगा और माप के आगणन के लिये शब्दों की संख्या 0.16 से गुणा किया जायेगा।

(3) उर्दू के समस्त समाचार पत्रों में टेण्डर देने के लिये शब्दों की संख्या को 0.22 से गुणा करना आवश्यक है, क्योंकि उूर्द में जगह ज्यादा लगती है।

(4) समाचार पत्रों में कोई भी टेण्डर बिना निदेशक की स्वीकृति के नहीं दिया जायेगा।

14. **दरों का निर्धारतः-** समय–समय पर उन समाचार पत्रों की दरों को निर्धारित करने की समस्या आती है, जिनकी मान्यता डी.ए.वी.पी. द्वारा नहीं है। अतः इनके लिये निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैंः–

(1) वे समाचार पत्र जिनकी मान्यता डी.ए.वी.पी. से भी है और सूचना विभाग से भी है, को डी.ए.वी.पी. दरें ही दी जायेगी।

(2) वे समाचार पत्र जिनकी मान्यता विभाग द्वारा नहीं है, परन्तु डी.ए.वी.पी. से मान्यता प्राप्त हैं, को विज्ञापन जारी करने की दशा में डी.ए.वी.पी. की दर ही दी जायेगी।

(3) वे समाचार पत्र जिनको व्यवसायिक दर अनुमन्य नहीं है और वह डी.ए.वी.पी. दर स्वीकार नही करते हैं, यदि वह विज्ञापन प्राप्त करते हैं तो सूचना विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर ही दी जायेगी।

(4) अपवाद के रूप में कुछ समाचार पत्रों को व्यवसायिक दर पर विज्ञापन जारी किया जाता है। यह समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर के होते हैं तथा उनकी प्रसार संख्या भी अच्छी होती है। ऐसी स्थिति में इसकी एक सूची बनायी जा रही है और समय–समय पर यह सूची संशोधित होती रहेगी। इसी सूची के आधार पर पत्र–पत्रिकाओं को व्यवसायिक दर पर विज्ञापन दिया जायेगा।

(5) कभी–कभी प्रवेशांक हेतु समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं। सामान्य रूप से 2000 रूपये का विज्ञापन इनको दिया जाता है और इस समय की दर निर्धारित नहीं की जाती है। अतः प्रवेशांक को एक समय में एकमुश्त विज्ञापन किसी भी दर पर दिया जा सकता है, परन्तु वह दरें आगे के लिये विज्ञापन देते समय मान्य नहीं होंगी और उसके ऊपर निर्धारित निर्देश के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।